Impact Factor 6.261 ISSN- 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOW ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

UGC Approved Multidiciplinary international E-research journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

Research need of the Hour

संशोधन काळाची गरज

10 June 2019 Special Issue-93

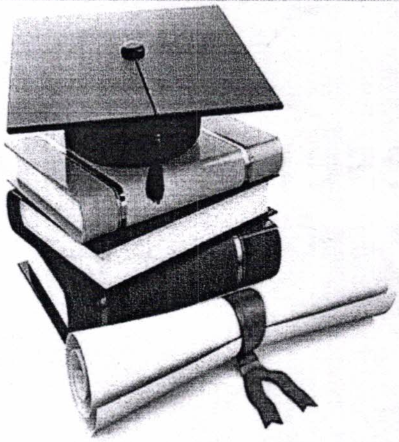

Chief Editor
Dr. Dhanraj T. Dhangar
Assist. Prof. (Marathi)
MGV'S Arts & Commerce college,
Yeola, Dist. Nashik (M.s.) India

Executive Editor of This Issue
Dr. Ulgade Laxman Kashinath
Asst. Prof. and Head, (PG Teacher)
Dept. of Public Administration
Shri Havagiswami College, Udgir, Dist. Latur

Co-Editor
Mr. Madhav Kashinath Ulgade

Impact Factor – 6.261 ISSN – 2348-7143
INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

Multidisciplinary International E-research Journal
PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

10th June 2019 Special Issue - 93

Research need of the Hour
संशोधन काळाची गरज

Chief Editor -
Dr. Dhanraj T. Dhangar,
Assist. Prof. (Marathi)
MGV'S Arts & Commerce College,
Yeola, Dist – Nashik [M.S.] INDIA

Executive Editor of This Issue
Dr. Ulgade Laxman Kashinath
Asst. Prof. and Head, (PG Teacher)
Dept. of Public Administration
Shri Havagiswami College, Udgir, Dist. Latur

Co-Editor
Mr. Madhav Kashinath Ulgade

18	Study on the preparation of a training of the representative Men's Basketball team of participation in 'B' zone intercollegiate Tournaments in S.RT.M.U Nanded. **Dr.Bhadke D.D.**	63
19	भारतीय लोकतंत्र और भ्रष्टाचार **डॉ.शरद कुलकर्णी, सचिन शेवतेकर**	65
20	भाषा अनुसंधान और मानव समाज **प्रा.विजयसिंह ठाकुर**	70
21	सामाजिक दास्य मुक्ति के आंदोलन : डॉ.आंबेडकर **प्रो.डॉ.एम.डी.इंगोले**	76
22	राजज्ञा का पालन करने के लिए समर्पित गांधरि **डॉ. पुष्पा गोविंदराव गायकवाड**	79
23	सामाजिक संशोधन पद्धतीची उपयुक्तता **डॉ. एस.एन. आकुलवार**	82
24	समस्यासुत्रण व संशोधन प्रक्रिया : एक अभ्यास **डॉ. विजय पांडुरंगराव कुलकर्णी**	85
25	तापमान वाढीचे दाहक वास्तव **डॉ. देशमुख एम.व्ही.**	89
26	फ.मुं. शिंदे यांच्या कवितेतील समाजवास्तव **डॉ. मथु सावंत**	91
27	सामाजिक संशोधनात संगणकाचे महत्व **प्रा.डॉ. बब्रुवान केरबाजी मोरे**	94
28	भारतातील दलितांच्या आर्थिक चळवळीचे आंबेडकरांच्या दृष्टीकोनातील विश्लेषण **प्रा. डॉ.गौतम कांबळे**	97
29	**शास्त्रीय संगीतात घराणेदार परंपरेची आवश्यकता** **प्रा.डॉ.दिपाली पांडे**	103
30	जलयुक्त शिवार अभियान महाराष्ट्र, मराठवाडा व बीड जिल्ह्याची सद्यस्थिती **प्रा. शिंदे नारायण भर्तरीनाथ**	105
31	कृषी संशोधन काळाची गरज **प्रा.डॉ.जे.बी.कांगणे**	109
32	सामाजिक संशोधनात व्यष्टी अध्ययनाचे महत्त्व **डॉ.लता कमलापुरे**	112
33	महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ लोकउपयोगी विविध योजना **कैलास गो. खेडूळकर, डॉ.व्यंकट विळेगांवे**	116
34	मानवी हक्क आणि भारताची राज्यघटना : एक शोध **डॉ.दयानंद माधवराव गुडेवार**	119

RESEARCH JOURNEY International Multidisciplinary E-Research Journal | ISSN- 2348-7143
Impact Factor - (SJIF) – 6.261, (CIF) - 3.452, (GIF) –0.676 Special Issue – 93 Research Need of the Hour (संशोधन काळाची गरज) | June 2019 | UGC Approved No. 40705

सामाजिक दास्य मुक्ति के आंदोलन : डॉ.आंबेडकर

प्रो.डॉ.एम.डी.इंगोले,
कला,वाणिज्य एवं विज्ञान महा.गंगाखेड जि.परभणी

सामाजिक न्याय और मानवीय अधिकार प्राप्ति आंबेडकरी आंदोलन का मुख्य उद्देष्य है। प्रकृतितः प्राप्त पानी पर सभी का अधिकार होता है। धार्मिक दृश्टि से विविध देवताओं के मंदिर प्रवेष का अधिकार धर्म के सभी अनुयायियों को समान रूप से होता है। परंतु वास्तविक रूप से हिंदू धर्म पीछडे,अछूत,दलित अपने ही भाईयों को वर्ण वर्चस्ववादी समाज ने इन अधिकारों से वंचित रखा था। इसलिए डॉ.आंबेडकर ने सामाजिक मानवीय अधिकार प्राप्ति हेतु विविध आंदोलन चलाएँ। उनमें महाड का चौदार तालाब पानी के लिए सत्याग्रह 20/03/1927, मनुस्मृति दहन 25/12/1927, अमरावती का अंबादेवी मंदिर आंदोलन, 26/07/1927, पुना का पार्वती मंदिर आंदोलन 22/09/1929,नाषिक का कालाराम मंदिर प्रवेष आंदोलन 2/3/1930, मुखेड आंदोलन 23/9/1931,नागपूर आंदोलन 3/9/1946, लखनौ आंदोलन 2/3/1947, मुंबई का गणपति मंदिर आंदोलन आदि प्रमुख आंदोलन कहे जा सकते हैं। डॉ.आंबेडकर के इन आंदोलनों के पूर्व भी अस्पृष्यों द्वारा कई प्रकार के छोटे–मोटे आंदोलन किए गए उनमें;

"त्रावणकोर रियासत में श्री रामास्वामी नायकर ने वैकम की एक ऐसी सडक पर अछूतों के चलने फिरने संबंधी संघर्श को आरंभ किया, जिस पर अछूतों को गुजरने की आज्ञा न थी। मार्च 1926 में श्री मुगरेसन नामक एक अछूत ने मद्रास के एक ऐसे मंदिर में प्रवेष किया, जिसमें अछूतों के प्रवेष पर प्रतिबंध था। मुगरेसन को पहचान लिया गया और एक हिंदू मंदिर को अपवित्र करने के अपराध में उसे दंड दिया गया।[1]" (पृ.61)

महाड के चौदार तालाब आंदोलन संबंधी डॉ.आंबेडकर के वक्तव्य का हवाला देते हुए एल.आर.बाली लिखते हैं;

"हिंदू धर्म और हिंदू समाज की दषा भी बहुत हास्यास्पद हैं। हिंदुओं के कुंओ, तालाबों और धर्मस्थलों पर कुत्ते–बिल्लियॉ और दूसरे पषु–पक्षी तो जा सकते हैं, वहॉ गधे तो किलोल कर सकते हैं,परंतु खेद! उनके अपने सहधर्मी वहॉ नहीं जा सकते। यदि जाएँ तो अपवित्र हो जाते हैं, अषुध्द हो जाते हैं और सवर्ण हिंदुओं के प्रयोग के योग्य नहीं रहते।[2]" (पृ.69,70)

इसलिए डॉ.आंबेडकर कहते हैं;

"छिने हुए अधिकार अत्याचारियों से विनय प्रार्थना करने से नहीं मिला करते अपितु वे तो कठिन संघर्श करने से ही प्राप्त हुआ करते हैं।[3]" (पृ.72)

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अपने 24 हजार से भी अधिक सहयोगी आंदोलन कर्ता के सम्मुख यह कहते हैं कि;

"प्रारंभ में मैं अपने विरोधियों को बता देना चाहता हूॅ कि हम चौदार तालाब में से पानी इसलिए नहीं लेना चाहते कि हम उस पानी के बिना मरे जा रहे हैं बल्कि हम तालाब में से पानी इसलिए लेना चाहते हैं ताकि हम अपना मानवीय अधिकार जता सकें। हम तालाब पर जा रहे हैं ताकि हम बता सकें कि हम मनुश्य हैं। केवल मंदिर–प्रवेषों और छुआछूत की समाप्ति के साथ ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता। प्रत्येक स्थान जैसे कि अदालतें, पुलिस,सेना और व्यापार के द्वार हमारे लिए खुलने चाहिए।[4]" (पृ.79)

अमरावती के अंबादेवी मंदिर प्रवेष का अछूतों द्वारा किया जानेवाला आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस संबंध में एल.आर.बाली बताते हैं;

"अमरावती के अम्बादेवी मंदिर में अछूतों के प्रवेष के लिए विगत तीन मास से संघर्श चल रहा था। 13 नवम्बर,1927 को अमरावती के इन्द्रभवन थियेटर में एक विषाल सभा हुई, जिसकी प्रधानता बाबासाहब आंबेडकर ने की। इस कान्फ्रेन्स में सर्व श्री.डॉ.पंजाबराव देषमुख,के.बी.देषमुख,नानासाहब अमृतकर,देवराव नाईक,डी.वी.प्रधान, तिडके और आर.डी.क्यूली जैसे प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। अम्बा देवी मंदिर कमेटी के प्रधान श्री.जी.एल.खापर्डे की प्रार्थना पर मोर्चा तीन मास के लिए स्थगित कर दिया गया। कांफ्रेंस 14 नवम्बर,1927 की प्रातः के कुछ समय के लिए उठा दी गई थी। क्योंकि डॉ.आंबेडकर के बडे भाई बालासाहब 55 वर्श की आयु में बंबई में देह त्याग गए थे। डॉ.आंबेडकर बंबई से अमरावती पहुॅचे और लोगों का अपने भाई की अंत्येश्टि करने के लिए सार्वजनिक रूप में धन्यवाद किया।[5]" (पृ.78)

बंबई के गणपति मंदिर में अछूतों के प्रवेष का आंदोलन भी डॉ.आंबेडकर के सामाजिक अधिकार प्राप्ति के लिए चालाए गए अभियान की एक महत्वपूर्ण कडी हैं। अतः कहा ये जाता है कि;

"बंबई के गणपति मंदिर में अछूतों के प्रवेष की आज्ञा नहीं थी,दादर सार्वजनिक गणेष उत्सव समिति ने सामाजिक समानता लीग को सूचित किया कि किसी भी अछूत को उस स्थान पर जाने की अनुमति नहीं हैं, जहॉ गणपति की मूर्ति स्थापित हैं। हजारों अछूतो ने मंदिर पर धावा बोल दिया। पहले तो प्रबंधक कुछ अडे परंतु फिर जन समुह को देखकर वे भाग खडे हुए और अछूतों ने मंदिर प्रवेष किया।[6]" (पृ.96)

RESEARCH JOURNEY International Multidisciplinary E-Research Journal | ISSN- 2348-7143
Impact Factor - (SJIF) – 6.261, (CIF) - 3.452, (GIF) –0.676 Special Issue – 93 | June 2019 | UGC Approved No. 40705
Research Need of the Hour (संशोधन काळाची गरज)

एल.आर.बाली के कथनानुसार जून 1927 को बंबई के समाचार पत्रों में यह घोशणा कर दी गई थी कि ठाकुरों द्वारा नवनिर्मित मंदिर सभी के लिए खुला कर दिया हैं। डॉ.आंबेडकर मंदिर के सचिव से फोन द्वारा समय तय करके षिवतकर के साथ वहॉ पहुंचे किंतु किसी हिंदू ने मुहल्ले वालों को भडका दिया और सबको इकठ्ठा करके बाबासाहब आंबेडकर को वहॉ से बेइज्ज्जत करके मंदिर प्रवेष के बिना ही वापस लौटना पडा। मंदिर के सचिव ने अमंत्रित किया था किन्तु वह भी केवल देखता रह गया। वह कुछ नहीं कर सका। पुना के पार्वती मंदिर प्रवेष की घटना भी उल्लेखनीय है;

"पूना का प्रसिध्द पार्वती मंदिर में प्रवेष करने के लिए मोर्चा आरंभ किया था। श्री.एन.वी.गाडगील,जो बाद में केंद्रिय सरकार में मंत्री बने और पंजाब के राज्यपाल भी रहे,साठे,देषदास रानडे, कानेटकर और जेधे आदि ने अछूतों को सहयोग भी दिया। हिंदुओं ने ईंटों प्रत्थरों की वर्शा आरंभ कर दी। कई नेता घायल हुए। श्री.पी.एन.राजभोज बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में प्रविश्ठ करवाया गया।[7]" (पृ.98)

डॉ.आंबेडकर द्वारा चलाए गए अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेष आंदोलन में नाषिक का कालाराम मंदिर प्रवेष आंदोलन ऐतिहासिक दृश्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह आंदोलन 2 मार्च, 1930 को आरंभ हुआ। इसमें मोर्चा कमेटी के सचिव भाऊराव गायकवाड,देवराव नाईक,राजभोज प्रसाद, षिवतारकर, पतितपावन दास और बी.जी.खेर आदि नेताओं के साथ पंद्रह हजार से भी अधिक प्रतिनिध थे। यह आंदोलन लग भग आठ माह तक चला। इस आंदोलन के स्वरूप संबंधी बताया जाता है कि;

"2 मार्च,1930 को तीन बजे समूची कान्फ्रेन्स जूलूस के रूप में बदल गई। चार–चार पुरूशों की मीलों लम्बी पंक्तियॉ बन गई। नाषिक के इतिहास में यह सबसे बडा और रिकार्ड तोड जूलूस था,ऐसा जलूस जिसकी षोभा ही निराली थी। आगे मिलट्री बैंड जैसा बाजा,उसके पष्चात् लेझीम,दांडपट्टा के जत्थे और उसके अनन्तर महिला सत्याग्रहियों के टोले। चौथे नंबर पर हजारों वीरों के जत्थे थे। स्वतंत्रता और समानता के मतवालों की बाढ उमड रही थी। इसे निमंत्रित रखने के लिए जिला मैजिस्ट्रेट,पुलिस कप्तान और दो सिटी मैजिस्ट्रेट भी जलूस के साथ मंदिर के गेटों की ओर बढ रहे थे। क्योंकि मंदिर के सभी द्वार बंद कर लिए गए थे। इसलिए प्रदर्षनकारी गोदाघाट पर आकर रूक गए और जलूस सभा के रूप में बदल गया।[8]" (पृ.99–100)

एक माह तक चले इस आंदोलन में हिंदू–अछूतों के समझौते अनुसार 9 अप्रैल,1930 को निकाली राम मूर्ति की रथ–यात्रा को दोनों समूदायों के लोग सम्पन्न कराएँगे। किन्तु कट्टर हिंदुओं ने इस वचन का भंग किया। जैसे ही भंडारी जाति के कद्रेकर अछूत नौजवान ने पुलिस का घेरा तोडकर रथ को पकडा वैसे ही कट्टर हिंदू लोग गिध्द की तरह उस पर टूट पडे वह बुरी तरह घायल हुआ। फिर समग्र आंदोलनकारियों पर पत्थर,चप्पल,ईटों की वर्शा की जिसमें कई क्रांतिकारी धायल हुए। डॉ.आंबेडकर भी उसमें घायल हुए।कालाराम मंदिर पूरे एक वर्श तक बंद रहा और यह आंदोलन अक्तुबर 1930 तक चलता रहा। एल.आर.बाली कहते हैं कि;

"डॉ.आंबेडकर ने एक भाशण में कहा था कि वह मंदिर प्रवेष का आंदोलन इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि मंदिरों में से उसको कोई अध्यात्मिक षान्ति प्राप्त होती है। अपितु वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वह अपने मानवीय अधिकार प्रकट कर सकें जतला सकें।[9]" (पृ.96)

डॉ.आंबेडकर ने मंदिर प्रवेष संबंधी अपनी भूमिका स्पश्ट करते हुए धर्म संबंधी अछूतों की भोला वृत्ति में जागृति लाने की कोषिष की। अछूतों की मूर्ति पूजा,कर्मकांड, मरीमाता, मनौति, चढावा, पषु–बलि, वृत्त–उपवास,गंडे–तावीज,धागे बंधन आदि के फेरे से मुक्त होकर षिक्षित बुध्दिवादी,विज्ञानवादी,परिश्रमी,उद्योगषील बनने की प्रेरणा दी यह चेतना उनमें भर दी।

न.म.जोषी के 'डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र व कार्य' ग्रंथ में उल्लेखानुसार जिला नाषिक येवला तहसिल के मुखेड गांव के महार अधूतों का 'पांडव–प्रताप–ग्रंथ पारायण सप्ताह' एक अनोखा अन्दोलन हैं। श्रावण माह में कई गावों की गई बस्तियों में तरह–तरह के सप्ताह संपन्न किये जाते हैं। मुखेड के महारों ने अपनी बस्ती में निम्न सप्ताह आयोजित किया। इस समय नाषिक के कालाराम मंदिर प्रवेष आंदोलन जोरों पर था। सप्ताह में भजन,कीर्तन,अभंग,भारूड गायन, ताल–मृदंग की स्वर में पूरी बस्ती गुंजने लगी। 1932 के आसपास अस्पृष्य नेताओं ने प्रस्तुत रूढिवादिता के खिलाफ आंदोलन करने की ठान ली और सप्ताह समाप्ति के अंतिम दिन 'पांडव–प्रताप' ग्रंथ रैली का आयोजन किया। यह रैली कट्टर हिंदुओं ने गांव के मुख्य रस्ते से ले जाने को मना किया। किन्तु अस्पृष्य नेता अमृतराव रणखांबे ने येवला के फौजदार और मामलेदार को सूचित किया। यह समाचार चारों तरफ फैल गया। सत्यागृही अपनी जिद्द पर अड गये। गांव के सवर्ण गुंडों ने उन पर हमला किया। उसमें रणखांबे जखमी हुए। गांव के पुलिस पटेल ने समझौता कराया इसलिए प्रकरण की आग बुझ गई।

हिंदुओं का संहिता ग्रंथ 'मनु–स्मृति' है, जिसके कारण भारतीय समाज में जातिभेद,षोशण,विशमता, छूत–अछूत का भेदभाव निर्माण हुआ। इस जड को ही डॉ.आंबेडकर ने 25 दिसम्बर,1927 को महाड में 'मनुस्मृति' दहन से खत्म किया। इसलिए भारतीय इतिहास में यह दिन अविस्मरनीय है। डॉ.आंबेडकर के सहयोगी आंदोलनकारी ब्राम्हण विद्वान जी.एन.

RESEARCH JOURNEY International Multidisciplinary E-Research Journal | ISSN- 2348-7143
Impact Factor - (SJIF) – 6.261, (CIF) - 3.452, (GIF) –0.676 Special Issue – 93
Research Need of the Hour (संशोधन काळाची गरज) | June 2019 | UGC Approved No. 40705

सहस्त्रबुध्दे ने 'मनुस्मृति' के वे पन्ने पढकर सुनाए जिन में षूद्रों की निंदा की गई थी। षूद्रों को षिक्षार्जन,धनार्जन,मानवीय और नागरिक अधिकारों से वंचित रख गया था। इस संदर्भ डॉ.आंबेडकर कहते हैं;

"यह आंदोलन अपने साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही नहीं ये एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए भी हैं। ये क्रांति इंसान द्वारा जाति–पॉति के बंधनों को खत्म करने के लिए भी हैं। ये क्रांति सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए है। वर्तमान जाति–पॉति व्यवस्था हमारे राश्ट्र की सब से बडी कमजोरी है। हमारा आंदोलन षक्ति व भाईचारे के लिए हैं........ हम उन षास्त्रों और स्मृतियों द्वारा नियंत्रित होने व बांधे जाने से इन्कार करते हैं। जो काल यानी अंधकारमय व अज्ञानी युगों में तैयार किए गये थे। हमारी सफलता देष की महानतम सेवा होगी।[10]" (पृ.79)

अर्थात् डॉ.आंबेडकर द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन अस्पृष्य, दलित, पीछडे समाज को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए किए गए थे। सामाजिक दासता की मुक्ति के लिए चलाए थे। उसकी फलश्रृति संबंधी डॉ.सूर्यनारायण रणसुभेजी का वक्तव्य देखने योग्य है। वे लिखते हैं;

"सितम्बर–1947 में मुंबई विधिमंडल ने मुक्त मंदिर प्रवेष का कानून पारित किया। पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर,आलंदी का ज्ञानेष्वर मंदिर और नाषिक का कालाराम मंदिर,महाराश्ट्र के सभी मंदिर सबके लिए खुले हो गए। 1930 में उन्होंने (डॉ.आंबेडकर) मंदिर प्रवेष की मॉग की थी। सत्रह वर्श के अनवरत संघर्श के बाद उन्हें न्याय मिला।[11]" (पृ.54,55)

संक्षेप में हम कह सकते है कि डॉ.आंबेडकरजी के सभी आंदोलन सामाजिक दास्य मुक्ति के लिए लडे है। दलित अति पीछडों के मानवीय अधिकारां के लिए लढ गए है।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ.आंबेडकर जीवन और मिषन–एल.आर.बाली– (पृ.61)
2. वही. (पृ.69,70)
3. वही. (पृ.72)
4. वही. (पृ.79)
5. वही. (पृ.78)
6. वही. (पृ.96)
7. वही. (पृ.98)
8. वही. (पृ.99,100)
9. वही. (पृ.96)
10. वही. (पृ.79)
11. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर–डॉ.सूर्यनारायण रणसूभे (पृ.54,55)